राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 178 / 2024

अनिल कुमार छंगाणी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.03.2024
आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांशु चौधरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता (Standing Counsel)

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को चुनौती दी है। उक्त आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है, का स्थानान्तरण अ.नि.खा., जोधपुर से ख.अ.राजसमन्द–ा किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर अन्य किसी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी को अन्य स्थान पर भेजे जाने की प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का परिवार पूर्णतः अपीलार्थी पर ही निर्भर है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से परिवार में काफी कठिनाईया उत्पन्न जायेगी। यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी का पैर फैक्चर हो चुका है और उनका केलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान कार्यरत स्थान से 200 कि.मी. दूर किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्क के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नं 3785 / 2020 डॉ. संगीता शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 की प्रति प्रस्तुत की है,

जिसमें याची के बीमार होने के आधार पर याची का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने को गलत माना है।

हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तकों पर विचार विमर्श किया। जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किये जाने के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकता नहीं होने का अपीलार्थी का तर्क रहा है, इस संबंध में हमारा मत है कि यदि अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर उसके स्थान को रिक्त रखा गया हैं, तो इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं हो। अपीलार्थी को राजसंमद स्थानान्तरित किया गया है, जहाँ पर संभव कि प्रत्यर्थी विभाग को सेवाओं की आवश्यकता हो, जो प्रशासनिक आवश्यकता की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह नियोक्ता के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवा किस स्थान पर प्राप्त करे और ऐसे प्रशासनिक निर्णयों पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। जहाँ तक अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी का स्वास्थ्य खराब है, इस पर भी हमनें विचार विमर्श किया। अपीलार्थी ने पैर की हड्डी में फैक्चर होना बताया हैं, इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया है कि फैक्चर कब हुआ था, फैक्चर के संबंध में कोई चिकित्सा रिपोर्ट भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थी ने कैलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ बताया है परन्तु उसके संबंध में चिकित्सक की राय प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि वह गंभीर रोग से पीड़ित हो, जिसके आधार पर वह गंतव्य स्थान पर अपनी सेवाये देने में असमर्थ हो। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 (डॉ संगीता शर्मा बनाम राजस्थान राज्य) में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। उससे स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचि के स्थानांतरण में उसकी गम्भीर बीमारी ILD&Interstitial Lung Disease को दृष्टिगत रखते हुए स्थानांतरण में हस्तक्षेप किया था, जो बीमारी माननीय उच्च न्यायालय ने गम्भीर बीमारी माना है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को कोई गम्भीर बीमारी होना समाने नहीं आया है एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत यहां लागू नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानांतरण में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)